

04/07
19

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी असालतन

या बकायतन बावजूद सूचना उपस्थित नहीं
हुआ। अतः अपील अपीलार्थी अरुन हाजरी व
अरुन पैरवी में खरिज की जाती है। रेस्पॉन्डेंट
नं० 1 उपस्थित नहीं।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नंबर दो कम
हो एवं बाद तकमील जमा जिला इन्जिलेखागार
हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)